रेल दावा अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

वाद संख्या–OA(IIu)/ALD/327/2021

पीठासीनः
श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक)/इलाहाबाद न्यायपीठ

संस्थन की तिथिः 16.10.2020
निर्णय की तिथिः 07.03.2024

1. रिंकू देवी पत्नी स्व. संतोष सिंह
2. प्रिंस कुमार उम्र लगभग 15 वर्ष पुत्र स्व. संतोष सिंह
3. सलोनी कुमारी उम्र लगभग 11 वर्ष पुत्री स्व. संतोष सिंह
4. करिश्मा कुमारी उम्र लगभग 09 वर्ष पुत्री स्व. संतोष सिंह
5. करीना कुमारी उम्र लगभग 04 वर्ष पुत्री स्व. संतोष सिंह
6. श्री दानी सिंह, मृतक स्व. संतोष सिंह के पिता
7. श्रीमती ललिता देवी पत्नी दानी सिंह

अ.स.क्र. 2, 3, 4 व 5 अवयस्क हैं तथा वे अपनी माता व प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती रिंकू देवी के संरक्षण में हैं।
सभी निवासी– गांव– रेपुरा सिरसा, पोस्ट– बैजनाथपुर, पुलिस स्टेशन– सीतामढ़ी, जिला– नवादा (बिहार)।

....आवेदकगण

बनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

....उत्तरदाता
दावा राशिः रू. 20,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याची की ओर से– श्री एन.के.पाण्डेय, अधिवक्ता।
उत्तरदाता की ओर से– श्री एस.के.रे, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. आवेदिका रिंकू देवी व अन्य की ओर से यह याचिका रेल दावा अधिनियम 1987 की धारा 16 के तहत दिनॉक 30.08.2018 को संतोष सिंह की रेल दुर्घटना में मृत्यु होने के परिणामस्वरूप भारत संघ, द्वारा महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रूपये मय ब्याज सादर दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

2. आवेदिका के अभिकथन के अनुसार, मृतक दिनॉक 30.08.2018 को द्वितीय श्रेणी के टिकट के साथ गया से आनन्द विहार तक की यात्रा ट्रेन से कर रहा था। ट्रेन के चलते समय ट्रेन से लगने वाले धक्के के कारण मृतक अचानक उक्त ट्रेन से गिर गया और दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक की मृत्यु उत्तरदाता द्वारा बरती गयी कुप्रबंधन के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता से आवेदिका 20 लाख रूपये प्रतिकर के साथ उक्त राशि पर ब्याज पाने की अधिकारी है।

3. उत्तरदाता की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मृतक की मृत्यु अज्ञात ट्रेन से गिर कर आयी चोटों के कारण होना बताया गया है। मृतक को चोटें स्वयं की लापरवाही से पहुँची हैं, मृतक दुर्घटनावश ट्रेन से नहीं गिरा है। आवेदिका द्वारा यह याचिका झूठी है एवं असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है। मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः यह याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

वाद–बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 11.10.2021 को पॉच वाद बिन्दु बनाये गये, जिनका हिन्दी रूपान्तरण निम्नवत् हैः–

(1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124 (ए) के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) क्या आवेदकगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदकगण किसी राहत और ब्याज की अधिकारी हैं, जैसा कि आवेदन में प्रार्थना की गई है?

(5) आवेदकगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. आवेदक सं.1 रिंकू देवी की ओर से इस याचिका के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र अ.स.क्र. 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र के साथ प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में स्टेशन मास्टर मेमो, जी.डी. रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं सभी आवेदकों का आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत किया गया है।

6. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

7. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के.पाण्डेय एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के.रे द्वारा बहस की गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद–बिन्दु संख्या–1 व 2

8. उपरोक्त वाद–बिन्दु एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण दोनों वाद–बिन्दुओं के निराकरण एक साथ किया जा रहा है। उपरोक्त बिन्दुओं के तारतम्य में यह भी देखना है कि क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री था और साथ ही जो घटना घटित हुयी है, क्या वह अनपेक्षित घटना की परिभाषा के अन्तर्गत आती है। धारा 2 (29), रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सद्भावी यात्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा किसी तारीख को यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई प्लेटफार्म टिकट लिया हो और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है। 'अनपेक्षित घटना', रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) सपठित धारा 124 से स्पष्ट है कि एक यात्री को ले जाने वाली गाड़ी से यदि किसी यात्री की दुर्घटनावश गिरने से मृत्यु हो जाती है तो वह घटना, अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आयेगी। धारा 124 में रेलवे प्रशासन के दायित्व की सीमा कहॉ तक है, इसका वर्णन किया गया है। अब यह देखना है कि उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में आवेदिका की ओर से अपने प्रकरण को कहॉ तक प्रमाणित किया गया है। श्रीमती रिंकू देवी ने कहा है कि उसका पति संतोष सिंह (मृतक), दिनांक 30.08.2018 को गया जंकशन से आनंद विहार तक की यात्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कर रहा था। उसके पति ने गया जंकशन से आनंद विहार तक की यात्रा के लिए सामान्य श्रेणी का टिकट खरीदा था। जब ट्रेन ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के पास चल रही थी तो उसका पति अचानक व दुर्घटनावश ट्रेन से गिर गया और गम्भीर रूप से घायल होने के

कारण उसकी मृत्य हो गयी। उसका पति मजदूरी का काम करता था। अतः अपने पति की मृत्यु होने के कारण वह अनावेदक रेलवे से प्रतिकर प्राप्त करने की अधिकारी है। अपने कथनों के समर्थन में रिंकू देवी की ओर से अपने आधार कार्ड व पैन कार्ड के अलावा स्टेशन मास्टर मेमो प्रदर्श ए–3 लगायत प्रदर्श ए–16 तक प्रस्तुत किये हैं। अनावेदक रेलवे के प्रति परीक्षण के दौरान साक्षी के कथन अखण्डित रहे हैं।

9. अनावेदक रेलवे की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है बल्कि केवल वैधानिक विवेचना आख्या प्रस्तुत की गयी है तथा इस रिपोर्ट को ही उत्तरदाता साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श ए–3 स्टेशन मास्टर मेमो व ए–4 पंचनामा के अनसार, दिनांक 31.08.2018 को दिन के 13.22 बजे एक डेड बॉडी माण्डा रोड व ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच पड़ी होने की सूचना दर्ज होना तथा प्रदर्श ए–5 पंचनामा की कार्यवाही, उक्त सूचना मिलने पर थाना माण्डा रोड द्वारा की गयी है। थाना माण्डा द्वारा प्रदर्श ए–5 में यह अंकित है कि थाने पर सूचना गैंगमैन श्री लक्ष्मी कांत द्वारा यह दी गयी थी कि ट्रेन से गिरने के कारण एक अज्ञात की मृत्यु हो गयी है। इसी पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक से टिकट, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि जब्त किए गए हैं। उक्त पंचनामा में मृतक की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना में होना बताया गया है।

10. अनावेदक की ओर से जो वैधानिक विवेचना आख्या (डी.आर.एम. रिपोर्ट) पेश की गयी है, उसके पृष्ठ सं. 15/13 व 15/15 पर जो रिपोर्ट दर्ज है उसमें मृतक की मृत्यु अज्ञात ट्रेन से गिरकर आयी चोटों के कारण होना बताया गया है। जहां तक टिकट जो पंचनामा में बारामद हुआ था जो कि घटना से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक

30.08.2018 को गया से आनन्द विहार तक का था, इस कारण पेश नहीं किया जा सका कि वह संबिधित थाना के माल खाना में पाया नहीं गया। इस सम्बन्ध में संबधित थाने से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है लेकिन प्रदर्श ए–5 में टिकट का पूर्ण विवरण अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि रेल यात्रा टिकट वैध था तथा यात्रा के लिए उपयुक्त था, जिसके द्वारा मृतक यात्रा कर रहा था।

11. अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रहा था तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा– 123 (सी) (2),सपठित धारा 124–ए, रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित रेल दुर्घटना' की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 व 2, तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या 3</u>

12. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक के आश्रित कौन हैं? आवेदिका ने अपने शपथपत्रीय कथनों में कहा है कि वह मृतक की पत्नी है और अपने शपथ पत्र के मद क. 13 में साक्षी ने मृतक के एक पुत्र व तीन पुत्रियां होना बताया है, जो कि आवेदक सं. 2, 3, 4 एवं 5 हैं और मृतक के माता–पिता को भी आश्रित होना बताया है, जो कि आवेदक सं. 6 एवं 7 हैं। इस संबंध में आवेदिका द्वारा राशन कार्ड व निर्वाचन पहचान पत्र प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी हैं। सभी आवेदकों द्वारा अपने आधार कार्ड भी प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डित साक्ष्य प्रस्तत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण, मृतक के आश्रित हैं तथा मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। धारा 123 (बी) (1) रेल अधिनियम, 1989 के अनुसार– डिपेंडेंट के अन्तर्गत यदि मृतक विवाहित था तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों के अन्तर्गत उसकी पत्नी, पुत्री व पुत्र प्रथम वारिस के रूप में सम्मिलित होंगे। अतः उक्त प्रावधान एवं आवेदिका के कथनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णीत किया जाता है कि मृतक के वारिस के रूप में सभी आवेदक, मृतक के आश्रित हैं। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 3 आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 4 व 5

13. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877, दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में आवेदकगण, प्रतिकर के रूप में रू. 8,00,000/– एवं उस पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

14. आवेदकों की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता को निर्देशित किया जाता है कि वह कुल रू. 8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत साधारण

वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेंगे।

15. जहॉ तक एवार्ड राशि को आवेदकगण में वितरण का सवाल है, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रकरण गीता देवी बनाम भारत संघ मामले में लिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एवार्ड राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा–

क. एवार्ड की गयी धनराशि कुल रू. 8,00,000/–(रूपये आठ लाख मात्र) मय 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, में से रू. 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि आवेदिका रिंकू देवी को तथा एक–एक लाख रूपये (रूपये 1–1 लाख मात्र) की धनराशि मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि, आवेदक सं. 2, 3, 4 व 5 क्रमशः प्रिंस कुमार, सलोनी कुमारी, करिश्मा कुमारी व करीना कुमारी को तथा 50–50 हजार रूपये (रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की धनराशि मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि, आवेदक सं. 6 व 7 क्रमशः दानी सिंह व श्रीमती ललिता देवी, प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

ख. आवेदिका रिंकू देवी को आवंटित एवार्ड धनराशिरू. 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) का 10 प्रतिशत, रू. 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) की राशि एवं कुल मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि, ई.सी.एस. द्वारा उनके एकल बचत बैंक खाते में भुगतान की जाएगी तथा शेष राशि रू. 2,70,000/– (रूपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) एफ.डी.आर. के रूप में 3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी,

जिसका आनुपातिक ब्याज आवेदिका अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करती रहेंगी।

ग. शेष एवार्ड राशि रू. 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि में से, आवेदक सं. 2 प्रिंस कुमार व आवेदक सं. 3 सलोनी कुमारी, एक–एक लाख रूपये की एवार्ड राशि मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तथा इस एवार्ड राशि का 10 प्रतिशत अर्थात् 10–10 हजार रूपये एवं एक–एक लाख रूपये की राशि पर जोड़े गये ब्याज की राशि, अपने–अपने एकल बचत बैंक खाते में ई.सी.एस. के माध्यम से प्राप्त करेंगे। शेष राशि रू. 90–90 हजार रूपये आवेदक सं. 2 व 3 को, एफ.डी.आर. के रूप में 3–3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज वे अपने–अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करते रहेंगे।

घ. शेष एवार्ड राशि रू. 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि में से, आवेदक सं. 4 करिश्मा कुमारी व आवेदक सं. 5 करीना कुमारी, एक–एक लाख रूपये की एवार्ड राशि मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगी। चूंकि आवेदक सं. 4 व 5 अवयस्क हैं, अतः इन्हें एवार्ड की गयी धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में उनके वयस्क होने के समय तक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज वे अपने–अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करते रहेंगे। न्यायालय के आदेश के उपरान्त वयस्क होने पर आवेदक सं. 4 व 5 का उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

ङ शेष एवार्ड राशि रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि में से, पचास–पचास हजार रूपये की एवार्ड राशि मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि, आवेदक सं. 6 दानी सिंह व आवेदक सं. 7 ललिता देवी, प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तथा इस एवार्ड राशि का 10 प्रतिशत अर्थात् 05–05 हजार रूपये तथा 50–50 हजार रूपये की राशि पर जोड़े गये ब्याज की राशि, अपने–अपने एकल बचत बैंक खाते में ई.सी.एस. के माध्यम से प्राप्त करेंगे। शेष राशि रू. 45–45 हजार रूपये एफ.डी.आर. के रूप में 3–3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज वे अपने–अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करते रहेंगे।

16. मूल नियत निक्षेप, बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

17. आवेदको को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने एकल बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक को, उत्तरदाता द्वारा एवार्ड राशि का भुगतान इस न्यायाधिकरण के सूटर्स बैंक खाते में किये जाने के बाद से, एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

18. एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि आवेदकों को उनके सम्बंधित बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

19. बैंक, आवेदकों की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। सभी आवेदक विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदकों को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

20. प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णीत प्रतिकर की एवार्ड धनराशि, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के सूटर्स बैंक खाता में जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 60 दिन के भीतर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है, तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक, 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि गणना सीट के साथ इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के पास जमा करायें। इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक एवार्ड की धनराशि का, आवेदकों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, 90 दिनों के भीतर भुगतान करें।

21. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाए और आवेदकों को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तद्नुसार, समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त फाइल को दाखिल–दफ्तर किया जाए।

22. पत्रावली दिनांक 13.06.2024 को उक्त आदेश के अनुपालन सम्बन्धी जांच हेतु नियत की जाती है।

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)